

दैनिक

# न्याय साक्षी

## अधिकार से न्याय तक

### आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्व का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 23 नवम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 56

### महत्वपूर्ण एवं खास

**नहीं हटेगा आरओ फिल्टर पर एनजीटी का प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट**  
नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आरओ के इस्तेमाल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर दखल देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरओ निर्माता एसोसिएशन को अपनी बात रखने के लिए केंद्र के पास जाने के लिए कहा। न्यायमूर्ति रोहित नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। आरओ निर्माता एसोसिएशन के अधिवक्ता का कहना था कि आरओ का इस्तेमाल कई चिकित्सा उद्देश्यों के मद्देनजर किया जाता है, खास कर डायलिसिस में, लेकिन एनजीटी ने आरओ के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

**गाय चोरी के शक में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या, 14 गिरफ्तार**  
» पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग

**कूचबिहार (आरएनएस)।** कूचबिहार जिले में पशु चोरी के संदेह में भीड़ ने दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी और इस मामले में कथित सलिमाता को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि रबीउल इस्लाम और प्रकाश दास एक वैन से दो गायों को लेकर जा रहे थे तभी माथाबांगला क्षेत्र में बृहस्पतिवार को यह घटना हुई। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने वैन रोकी और उसमें गायों को देखा। लोगों ने दावा किया कि वे गाएं कुछ दिन पहले इलाके से चुरा ली गई थीं और उन्हें पशु तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। भीड़ ने दोनों से पूछा कि वे कहाँ से आए हैं। इसके बाद उन्होंने दोनों को पिटाई की और वैन को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल में पश्चिम बंगाल (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की रोकथाम) अधिनियम, 2019 पारित किया था जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिलने का इंतजार है।

**अजमेर में रेलगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतरे**

**अजमेर (आरएनएस)।** राजस्थान में अजमेर रेल मंडल के मदार में आज अजमेर - सियालदाद के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुबह करीब सात बजे रेलगाड़ी खाली होने के बाद रख रखाव के लिये यार्ड में जा रही थी कि अचानक चार डिब्बे पटरी से उतर गये। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेलवे के उच्चाधिकारियों ने इसे गम्भीर मानते हुए जांच के आदेश दिये हैं। बेपटरी हुए डिब्बों की जानकारी मिलते ही मंडल रेल प्रबंधक नवीनकुमार परशुरामका ने पूरी घटना की जानकारी ली और जांच के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आयेगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

**एससीओ के विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुखों की 5वीं बैठक सम्पन्न**

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विभागों तथा विज्ञान और टेकनालॉजी सहयोग पर स्थायी कार्य समूह की 5वीं बैठक कल रूस के मास्को में सम्पन्न हो गई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व डीएसआईआर के सचिव और सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. शेखर सी मांडे ने किया। एससीओ के 8 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने 3 दिन की बैठक के बाद विज्ञान और टेकनालॉजी की 5वीं बैठक के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। बैठक में एससीओ के युवा वैज्ञानिकों तथा अन्वेषकों की बैठक 2020 में आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। नेताओं ने 2020 के अंत तक एससीओ बहुपक्षीय अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए संयुक्त प्रतिस्पर्धा आयोजित करने की भी मंजूरी दी। संयुक्त प्रतिस्पर्धा तथा निधि और वित्तीय समर्थन व्यवस्था बाद में तैयार की जाएगी। भारत 2020 में एससीओ सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा।

# एसपीजी सुरक्षा एक्ट में संशोधन करेगी केंद्र सरकार

» अगले सप्ताह संसद में पेश हो सकता है प्रस्ताव



**नई दिल्ली (आरएनएस)।** केंद्र सरकार एसपीजी सुरक्षा एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है। उसे अगले सप्ताह तक संसद में पेश कर दिया जाएगा। सरकार के सूत्र बताते हैं कि इस संशोधन में कई तरह के नए प्रावधान किए गए हैं। खासतौर से पूर्व प्रधानमंत्री या उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा किन शर्तों पर दी जाए, उसकी समयावधि कितनी हो, खतरा कहाँ पर और किस तरह का है और कोई एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति यदि तय मापदंडों का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये सब बातें नए एक्ट का हिस्सा बनेंगी।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इस एक्ट में संशोधन करने का मसौदा तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते संसद में संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नए एक्ट में वह प्रावधान नहीं होगा, जिसके तहत मौजूदा समय में पूर्व प्रधानमंत्रियों या उनके परिवारियों को एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार अब पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा कवर नहीं देगी। संभावना यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री को सीमित समय के लिए यह सुरक्षा कवच देने का प्रावधान किया जा सकता है। इसमें भी यह देखा जाएगा कि उन्हें किस तरह का खतरा है। एसपीजी के मापदंडों का उल्लंघन होने की स्थिति में कौन सी एजेंसी रिपोर्ट तैयार करेगी, इस बाबत नए संशोधन एक्ट में कई नए प्रावधान देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले

### लोकसभा में अगले सप्ताह पेश होगा एसपीजी संशोधन विधेयक

**संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी दी कि अगले सप्ताह सदन में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। प्रतिष्ठित एसपीजी कमांडो देश के प्रधानमंत्री, उनके परिवारियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों के आधार पर यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेघवाल ने लोकसभा में अगले सप्ताह की सरकारी कार्यसूची की जानकारी देते हुए बताया कि अन्य विधेयकों के साथ एसपीजी (संशोधन) विधेयक भी पेश किया।**

वर्तमान में सीआरपीएफ की यह सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उद्योगपति मुकेश अंबानी और बाबा रामदेव जैसे 57 वीवीआईपी एवं वीआईपी लोगों को मिली है।

### संसद में पराली पर अंग्रेजी में चर्चा का औचित्य नहीं

» किसान हैरत में कि आरोप लगाया या दी शाबाशी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा के एक सदस्य ने एक दिलचस्प बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि प्रदूषण और पराली जलाये जाने के मुद्दे पर पिछले दिनों से संसद में चल रही अधिकतर चर्चा अंग्रेजी में हो रही है जिसे सुनकर दिल्ली के आसपास के राज्यों के किसानों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें उन पर आरोप लगाया जा रहा है या उन्हें शाबाशी दी जा रही है। उच्च सदन में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के सदस्य लॉफ्टनेट जनरल (सेवानिवृत्त) डीपी वत्स ने जब पूरक प्रश्न पूछते समय यह बात

कही तो सदन में बैठे सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान उभर आयी। वत्स ने पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों द्वारा पुआल और पराली के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि वायु प्रदूषण और पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पुआल जलाने के विषय पर संसद में पिछले दो दिन चर्चा हुई। यह चर्चा अधिकतर अंग्रेजी भाषा में हुई। इसलिए इन राज्यों के हिन्दी एवं पंजाबी भाषी किसानों को यह समझ नहीं आ रहा कि इसमें उन पर आरोप लगाया जा रहा है या उन्हें शाबाशी दी जा रही है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के रविप्रकाश वर्मा ने पूरक प्रश्न पूछते समय इस बात पर चिंता जतायी कि देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों को पराली जलाने के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है।

### पी. सी. मोदी ने सूचना के आदान-प्रदान के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पी. सी. मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयकर की वेबसाइट पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया।



वेब पोर्टल में एक ही स्थान पर प्रासंगिक सूचना का आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी, ताकि वित्तीय संस्थानों, विभागीय अधिकारियों और आम जनता को लाभ हो। सूचना के स्वतः आदान-प्रदान (ईईओआई) पर सामान्य सूचना मानक (सीआरएस) के

तहत 2017 से ही वित्तीय हिसाब-किताब की सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में देश प्रविद्ध रहा है। वित्तीय संस्थान हर वर्ष सूचना दर्ज करते हैं और भारत तय मानकों के तहत उनका आदान-प्रदान करता है। वेब पोर्टल पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नीति, तकनीकी

सर्कुलर/ दिशा-निर्देश/ अधिसूचनाएं उपलब्ध रहेगी। इन्हें देखने के लिए भारतीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों को लॉक उपलब्ध रहेगा। इस पोर्टल से घरेलू वित्तीय संस्थानों, विदेशी कर प्राधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों को उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। इसके तहत ईईओआई से संबंधित भारतीय कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की सूचना उपलब्ध होगी। ईईओआई मानक को लागू करने के लिए 2015 में आवश्यक घरेलू कानूनी रूपरेखा तैयार की गई थी। वित्तीय संस्थानों, आयकर विभाग के अधिकारियों आदि को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त, 2015 को एक समग्र दिशा-निर्देश सूचना जारी की गई थी, ताकि आयकर अधिनियम और नियमों के तहत अनुपालन किया जा सके। सूचना देने के संबंध में वित्तीय संस्थानों को जागरूक बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हितधारकों के साथ परामर्श किया था।

### आत्म-निर्भरता प्राप्त करने डीआरडीओ और उद्योग के बीच और अधिक तालमेल जरूरी: राजनाथ

**हैदराबाद (आरएनएस)।** रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शुक्रवार को हैदराबाद में डीआरडीओ और उद्योग के बीच समन्वय बैठक 2019 का आयोजन किया। अपने वीडियो संदेश में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रणालियों तथा टेकनालॉजी के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किफात जा रहे समन्वय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ रक्षा प्रणाली विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने प्रक्षेपास्त्र, लड़ाकू विमान, नौसना

प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, राडार, सोनार तथा शस्त्र प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास की दिशा में योगदान किया है। रक्षामंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन की नीति के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक एयरोस्पेश, रक्षा सेवाओं और सामग्रियों के लिए 26 बिलियन डॉलर निर्धारित किया है। इसमें से लगभग 10 बिलियन डॉलर का उपयोग 20-30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करने में किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के सरकार के कार्यक्रमों की चर्चा करते



हुए राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार और उन्हें अपनाने में उत्कृष्टता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों,

उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और सेवाओं को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने सराहना की कि डीआरडीओ ने 1800 से अधिक उद्योगों का पालन-पोषण किया है, जो एक साथ रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर रहे हैं। रक्षा विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने टेकनालॉजी के शून्य हस्तांतरण और विकास-सह-उत्पादन साझेदारों के लिए शून्य रायल्टी और पेटेंट के निशुल्क उपयोग जैसी नवीनतम नीतियों की जानकारी दी।

### एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना अवसरवाद का गठबंधन: गडकरी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** विचारधारा पर आधारित था और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर कहा है कि अगर शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच वैचारिक मतभेद हैं। सरकार बनने पर भी सरकार बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि यह (शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस) अवसरवाद का गठबंधन है, घरेलू उद्योगों द्वारा डीआरडीओ के पेटेंट के निशुल्क उपयोग जैसी नवीनतम नीतियों की जानकारी दी।

विचारधारा पर आधारित था और आज भी हमारे बीच वैचारिक मतभेद नहीं हैं। इस तरह के गठबंधन को तोड़ना न केवल देश के लिए बल्कि हिंदुत्व के लिए और महाराष्ट्र के लिए भी एक नुकसान है। नितिन गडकरी ने झारखंड विधानसभा चुनाव पर कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार ने जो काम किया है, उसे ध्यान में रखते हुए और सीएम रघुबर दास ने राज्य को जो स्थिर सरकार दी है, मुझे विश्वास है कि झारखंड के लोग सीएम रघुबर दास के नेतृत्व में हमारी दूसरी जीत सुनिश्चित करेंगे।

### जल संकट एक देश का नहीं, पूरी दुनिया का मुद्दा: शेखावत

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** केंद्रीय भूजल बोर्ड ने शक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ऑस्ट्रेलिया के 'मारवी' (मैनेजिंग एक्जीक्यूटिव रीचार्ज एंड सस्टेनिंग ग्राउंडवॉटर यूज विलेज-लेवल इंटरवेंशन) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रत्न लाल कटारिया, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव यू. पी. सिंह, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री डेन टेहन और भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त सुडवेन मैके उपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि जल संकट किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। उन्होंने कहा, 'हमारी 65 प्रतिशत निर्भरता भूजल पर है और इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है।' उन्होंने कहा कि क्योंकि भावी पीढ़ियां इससे प्रभावित होंगी, इसलिए यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में कटारिया ने कहा कि सरकार 'जलदूत' संवर्ग बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, 'भूजल का दोहन सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह सस्ता और सुगम्य है।' इस अवसर पर यू. पी. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल संकट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'उन्होंने मन की बात में इस मुद्दे को उठाया था और अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में भी इस मुद्दे को रेखांकित किया था।'



### लोकसभा में पेश हुआ ई-सिगरेट विधेयक

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध वाला एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक-2019 पेश किया। यह विधेयक कानून के बाद हाल ही में इस संबंध में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। केंद्र सरकार ने

लोगों, खासकर युवाओं को ई-सिगरेट से होने वाले सेहत संबंधी खतरों का उल्लेख करते हुए इन उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सितंबर महीने में अध्यादेश जारी किया था। सरकार ने इसके साथ ई-हुकके को भी प्रतिबंधित किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि पहली बार अपराध के मामले में एक वर्ष तक कैद अथवा एक लाख रूपए तक जुर्माना अथवा दोनों और अगले अपराध के लिए तीन वर्ष तक कैद और पांच लाख रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हरेक दिन 25 किलों टन प्लास्टिक कचरा - लोकसभा में केंद्रीय मंत्री



वजह से चुनौती बढ़ी है। अगले महीने पर्यावरण मंत्रियों की बैठक - केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि अगले महीने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही है जिसमें प्लास्टिक की समस्या से निपटने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर रणनीति पर चर्चा की जायेगी।